

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।
विज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2022-2023 हेतु जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद सिविल लाईन स्थित परिसर के निम्नलिखित ठेकों की नीलामी हेतु नियत दिनांक 21-03-2022 को 1:00 बजे तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं तथा समय सायं 04:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य सभागार में ठेकों की नीलामी की जायेगी।

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1-ठेका विक्रय - मिठाई, चाय, नमकीन, पूड़ी व सब्जी। | (बतौर अग्रिम धनराशि 50,000/-रु०) |
| 2-ठेका विक्रय - फ्रूट जूस व कोल्ड ड्रिक्स। | (बतौर अग्रिम धनराशि 50,000/-रु०) |
| 3-ठेका - ठेका साइकिल स्टैन्ड। | (बतौर अग्रिम धनराशि 1,50,000/-रु०) |
| 4-ठेका - फोटो स्टेट मशीन। | (बतौर अग्रिम धनराशि 80,000/-रु०) |
| 5-ठेका - फोटो ग्राफर। | (बतौर अग्रिम धनराशि 40,000/-रु०) |
| 6-ठेका - मजमा। | (बतौर अग्रिम धनराशि 5,000/-रु०) |
| 7-ठेका - पैन व लेखन सामग्री। | (बतौर अग्रिम धनराशि 3,000/-रु०) |

नीलामी हेतु समय से पूर्व बोली बोलने वाला, जिस ठेके की बोली में भाग लेना चाहता है, उसकी निर्धारित बतौर अग्रिम जमानत धनराशि नजारत में जमा करेगा, जो बोली स्वीकार होने पर ठेके की राशि में समायोजित हो जायेंगे अन्यथा अगले कार्य दिवस को वापस कर दिये जायेंगे। शेष नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग, के नोटिस बोर्ड पर या नजारत अनुभाग जजी, फिरोजाबाद से प्राप्त की जा सकती हैं।

Ranjit Mangal
07/3/22
(राजमंगल सिंह यादव)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
सी० जे० एम०,
फिरोजाबाद।

Aurang Shau
07.03.2022
(अनुराग शर्मा)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला जज/एफ.टी.सी. प्रथम,
फिरोजाबाद।

Chandra Shekhar
7.3.22
(चन्द्र शेखर-1)
अध्यक्ष/ठेका नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचना पट पर चस्पा करने व बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

- 1-माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 2-जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 3-स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
- 4-जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
 1. कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
 2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
 3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
 4. कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
 5. कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद।
6. रेलवेस्टेशन, बस स्टैण्ड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापित चस्पा करने हेतु।

Seen. Approved.

[Signature]
District Judge
Firozabad
FIROZABAD
07.03.2022